कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– १२११ /12–1 देहरादूनः दिनांकः २६ अक्टूबर, 2024

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– **जनपद–बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट विकासखण्ड के अन्तर्गत शामा से रमाड़ी तेजल मोटर मार्ग से ज्ञानधुरा होते हुए डॉगटी तक 6.00 किमी0 मोटरमार्ग का 4.86 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**
(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/15785/2015)

सन्दर्भ :– आपकी पत्र सं0 1051/X-4-16/1(340)/2016 दिनांक 24–10–2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में आपके द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से आपके द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या अपने पत्रांक 1131/12–1–2 दिनांक 13–09–2024 से वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को प्रेषित की गई है जिसे वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 881/12–1(2) दिनांक 05–10–2024 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गई है–

क्र०सं०	सैद्धान्तिक सवीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.72 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जाएगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जाएगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले 9.72 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू0 24,62,387.00 (चौबीस लाख बासठ हजार तीन सौ सत्तासी) मात्र UTR No. SBINR52018080400048888 दिनांक 04-08-2018 से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चालान के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा करवा दी गई है। प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गई सिविल सोयम भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित करवा दी गई है। **(संलग्नक–1)**
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े सथानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू0 22,79,058.00 (बाईस लाख उन्यासी हजार अठावन) मात्र UTR No. SBINR52018080400048888 दिनांक 04-08-2018

		से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चालान के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा करवा दी गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या –566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित अवगत कराया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या –566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि रु0 31,93,020.00 (इकत्तीस लाख तिरानवे हजार बीस) मात्र UTR No. SBINR52018080400048888 दिनांक 04-08-2018 से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चालान के माध्यम से जमा करवा दी गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
4.	प्रयोक्ता इस आशय का वचनबद्धत्ता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होने की दशा में बढ़ी हुई धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 16,92,301.00 (सोलह लाख बयानवे हजार तीन सौ एक) मात्र UTR No. 02412456150803 दिनांक 27-08-2024 से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चालान के माध्यम से जमा करवा दी गई है। **(संलग्नक–2)**
5.	प्रयोक्ता अभिरकण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या एस0बी0–25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित अवगत कराया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या –566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या एस0बी0–25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्तुत की गई है

	अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	**(संलग्नक–1 के अनुसार)**
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने सम्बन्धि प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
7.	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों की प्रतियां संलग्न है। **(संलग्नक–4)**

अतः उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशाधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1२११ /12–1 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़, देहरादून।
2– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
3– प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
4– अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट, बागेश्वर।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 881 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक 05/10/2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद बागेश्वर के कपकोट विकास खण्ड के अन्तर्गत शामा से रमाडी तेजम मोटर मार्ग से ज्ञानधूरा होते हुए डॉगरी तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग का 4.860 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग, को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0– FP / UK / ROAD / 15785 / 2015)**

संदर्भ :– **उत्तराखण्ड सरकार का पत्रांक सं01051 / X-4-16 / (340) / 2016 दिनांक –24.10. 2016**

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध मे प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर ने अवगत कराया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अतिरिक्त एन0 पी0 वी0 की बढोत्तरी धनराशि चालान सं0 UTR No RBI2412456150803 दिनॉक 27–08–2024 द्वारा कैम्पा मद मे जमा कर दिया गया है जिसकी चालान की प्रति संलग्न कर आपको सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– यथोपरि। (तीन प्रतियाँ)

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड,अल्मोड़ा।

प्रभारी बागेश्वर
आ० का० करें।

प्र० व० सं० / नो० अ०
14-10-24

निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून
1297
12–1
16-10-24

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं0:– **05963-220249** फैक्स नं0:– **05963-220209**

पत्रांक 546 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 20/8 /2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :– **जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत शामा से रमाड़ी तेजम मोटर मार्ग से झानधूरा होते हुए डॉगटी तक 6.00 कि0मी0 मोटर मार्ग का 4.860 है0 वनभूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ:– **उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक सं0 1051/x-4-16/1(340)/2016 दिनांक 24.10.2016।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आप्पतियों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को तीन प्रति में प्रेषित की गयी है जो दो प्रति में अग्रिम कार्यावाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न– आख्या 2 प्रति में

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को उनके पत्रांक 1253/2ई0व0भू0 दि0 24.07.2019 के कम में इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्यां को विशेष पत्र वाहक के माध्यम से नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

Nodal adikari

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 1253 / 2ई0वन0भूमि दिनांक 24/07/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर।

विषय :– जनपद बागेश्वर के कपकोट विकास खण्ड के अन्तर्गत शामा से रमाडी तेजम मोटर मार्ग से ज्ञानधूरा होते हुए डॉगटी तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग का 4.860 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक सं0 1051/X-4-16/1 (340)/2016 दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि वनभूमि प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति पर अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक सं0 1051/X-4-16/1 (340)/2016 दिनांक 24.10.2016 द्वारा अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार पूर्ण अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:–

बिन्दु सं0–1 शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रभावित होने वाले वृक्षों के दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव तथा मार्ग के दोनों ओर रिक्त, स्थानों पर पथ वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा सूचित धनराशि क्रमशः रु0 2462387.00 एवं रु0 2279058.00 दिनांक 04.08.2018 को चालान सं0 SBINR 52018080400048888 द्वारा जमा करा दी गयी हैं। **संलग्न है।**

बिन्दु सं0–2 शर्त संख्या 2 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा आंकलित की गयी एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 3193020.00 मात्र दिनांक 04.08.2018 को चालान सं0 SBINR 52018080400048888 द्वारा जमा करा दी गयी है। **संलग्न है।**

बिन्दु सं0–3 भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा उल्लिखित शर्तानुसार एन0पी0वी0 आदि की धनराशि हेतु प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर से प्राप्त डिमांड नोट को नोडल अधिकारी कार्यालय में ऑन लाईन प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात् अनुमोदन उपरान्त ऑन लाइन ई–चालान जनरेट कर कुल धनराशि रु0 7934465.00 का भुगतान चालान सं0 SBINR 52018080400048888 Dated 04-08-2018 द्वारा जमा कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–4 शर्त संख्या 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बचन बद्वता कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा करने सम्बन्धी **प्रमाण पत्र संलग्न है।**

बिन्दु सं0–5 शर्त संख्या 4 व 5 के अनुपालन में उक्त देय धनराशि RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation fund (CAF) कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा करायी जानी थी परन्तु बिन्दु संख्या 3 के अनुसार भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त देय धनराशि रु0 7934465.00 का भुगतान ऑन लाइन ई–चालान जनरेट कर दिनांक 04.08.2018 को किया जा चुका है। भुगतान की पुष्टि हेतु बैक से प्राप्त SBINR 52018080400048888 Dated 04-08-2018 की **प्रति संलग्न है।**

बिन्दु सं0–6 शर्त संख्या 6 के अनुपालन में सूचित करना है कि जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भूवैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से पालन करने सम्बन्धी **प्रमाण पत्र संलग्न है।**

बिन्दु सं0–7 शर्त संख्या 7 मान्य है।

बिन्दु सं0–8 शर्त संख्या 8 के अनुपालन में वनाधिकारी अधिनियम 2006 से सम्बन्धित अभिलेख यथा–प्रपत्र 30 से 30–3, तक जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवृत्ति, जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र तथा फार्म–1 (कुल 7 नं0) पहले ही प्रस्ताव में 1–6 पर संलग्न किये गये है जिनका कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। **प्रति संलग्न है।**

बिन्दु सं0–9 मान्य है।

बिन्दु सं0–10 मार्ग निर्माण उपरान्त उत्पादित होने वाले अवशेष मलवे का निस्तारण मोटर मार्ग के किनारे खड्ड साईड में प्रस्तावित 7मी0 चौडाई के अन्दर ही प्रस्तावित किया गया है जिस पर मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त वन विभाग द्वारा मार्ग के दोनों ओर किये जाने वाले पथ वृक्षारोपण के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 1 में भुगतान की गयी धनराशि से पौधारोपण किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार संलग्नकों सहित पूर्ण अनुपालन आख्या 3 प्रति में नोडल अधिकारी देहरादून को संस्तुति सहित् प्रेषित करते हुए प्रस्ताव पर विधिवत् स्वीकृति एवं भूमि हस्तान्तरण आदेश जारी कराने की कृपा करें।

संलग्न–2 प्रमाण पत्र, नामान्तरण की खतौनी एवं एक ई चालान की प्रति।

भवदीय

(संजय कुमार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
कपकोट

O/c

पत्रांक / 2ई0वन0भूमि दिनांक / /2019

प्रतिलिपि सन्दर्भित पत्र के कम में निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फौरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड यमुना कालोनी, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, बागेश्वर।
4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।

(संजय कुमार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
कपकोट

O/c

259
04.02.17

आदेश

उप जिलाधिकारी, कपकोट की आख्या/रिपोर्ट दिनांक 16 उजनवरी, 2017 के आधार पर जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट अर्न्तगत शामा से रमाडी तेजम मोटर मार्ग से ज्ञानधुरा होते हुए डॉगटी तक 6.00 कि0मी0 मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 4.860 है0 की दुगनी अवनत भूमि 9.720 है0 जो ग्राम बदियाकोट पटवारी क्षेत्र बदियाकोट तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 110 के पैमाईशी खेत नम्बर 4319 रकवा 22.313 है0 मध्ये रकवा 9.720 है0 जो श्रेणी 9(3)ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को मैं, जिलाधिकारी, बागेश्वर शासनादेश संख्या 2173/xviii(II)/2012–18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 1051/X–4–16/ 1(340) 2016 दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 में दी गयी शर्तो के अधीन उक्त वर्णित 9.720 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/ नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर

संख्या –111 / छब्बीस वन /2016–17 दिनांक 23/01/ 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1–प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग ,बागेश्वर।

2–अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट।

3–उपजिलाधिकारी,कपकोट।

4–तहसीलदार,कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण /नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

RNo-259/ 25 दि0-04.2.17

~~प्रतिलिपि~~ श्री राहुल आर्या, सहा0 अभि0 IV को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधि0 अभि0
3/2/17

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खं0 लो0 नि0 वि0
कपकोट

कार्यालय तहसीलदार, कपकोट।

संख्या– 108/र०का०/व०भू०ह०/2016–17/दिनांक 31 जनवरी,2017

250
252
01.2.17

ा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

षय :– *जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट अन्तर्गत शामा से रमाड़ी तेजम मोटर मार्ग से ज्ञानधुरा होते हुए डॉगटी तक 6.00 कि०मी० मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 4.860 है० की दुगुनी अवनत भूमि 9.720 है0 भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के सम्बन्ध में।*

होदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के आदेश संख्या– 11/छब्बीस वन/ 2016–17 ,दिनांक 23/01/2017 के अनुपालन में ग्राम बदियाकोट पटवारी क्षेत्र दियाकोट तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 110 के माईशी खेत नम्बर 4319 रकवा 22.313 हैक्टेयर, मध्ये 9.720 हैक्टेयर, श्रेणी 9(3) ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर खतौनी नकल मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :– (01) जिलाधिकारी, महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी नकल अवलोकनार्थ प्रेषित।
(02) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट को मय खतौनी नकल प्रेषित।

R.No-252/250 दि०-1.2.17
प्रतिलिपि श्री राहुल आर्य, स०अभि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

तहसीलदार
कपकोट।

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण ... लो० नि० वि०
कपकोट

उ०अ० ... 1/2/17

ग्राम - बाडियाकोट क्षेत्र - बाडियाकोट तह० - कपकोट जि० - बागेश्वर,

श्रेणी - ९ (३) ख

खातेदार का नाम	फसली सन्	खेत नम्बर	रकबा	लगान	विवरण
10. जंगल	१३०४ फ० से	९४८०	५॥		जिलाधिकारी बागेश्वर के कोर्ट सं. 111/इक्वीस वन/2016-17 दिनांक 28-01-2017 के आदेश/ शासनादेश संख्या 2173/xviii(ii)/ 2012-18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रांक 883/x-416/1(275)/2016 दिनांक 12 अगस्त 2016 में दी गयी शर्तों के अधीन ग्राम बाडियाकोट के कै० जे० जेड० खाता सं. 110 के बेनाप भूमि खे० नं. 4319 रकबा 22.313 है० मध्ये रकबा 9.720 है० जो श्रेणी 9(3) ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को वनेतर उपयोग किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में इन्द्राज नामान्तरण किया Bhule (हस्ताक्षर)
		९४८५	२३९		
		९४८४	३६०॥		
		९४८६	९०८॥		
		क्रमशः			
		६३१९	११९५॥२		
		६३२०	३६५॥२		
		६३२१	३६५॥२		
		क्रमशः			
		८३०२	५		
		८३०३	३		
		८३०४	१॥२		
		८३०५	२		
	योग	३६०	५४०६९२		

मतोव्य, तैयार किया,

प्रतिहस्ताक्षरित

(हस्ताक्षर) तहसीलदार कपकोट

(हस्ताक्षर) 31.1.17

फोटो प्रति सत्यापित
(हस्ताक्षर)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

रफेरेन्स मैपः—मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा के अंतर्गत शामा से रमाड़ी तेजम मोटर मार्ग से झ
ाते हुए ड़ागती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल—9.720 है0)

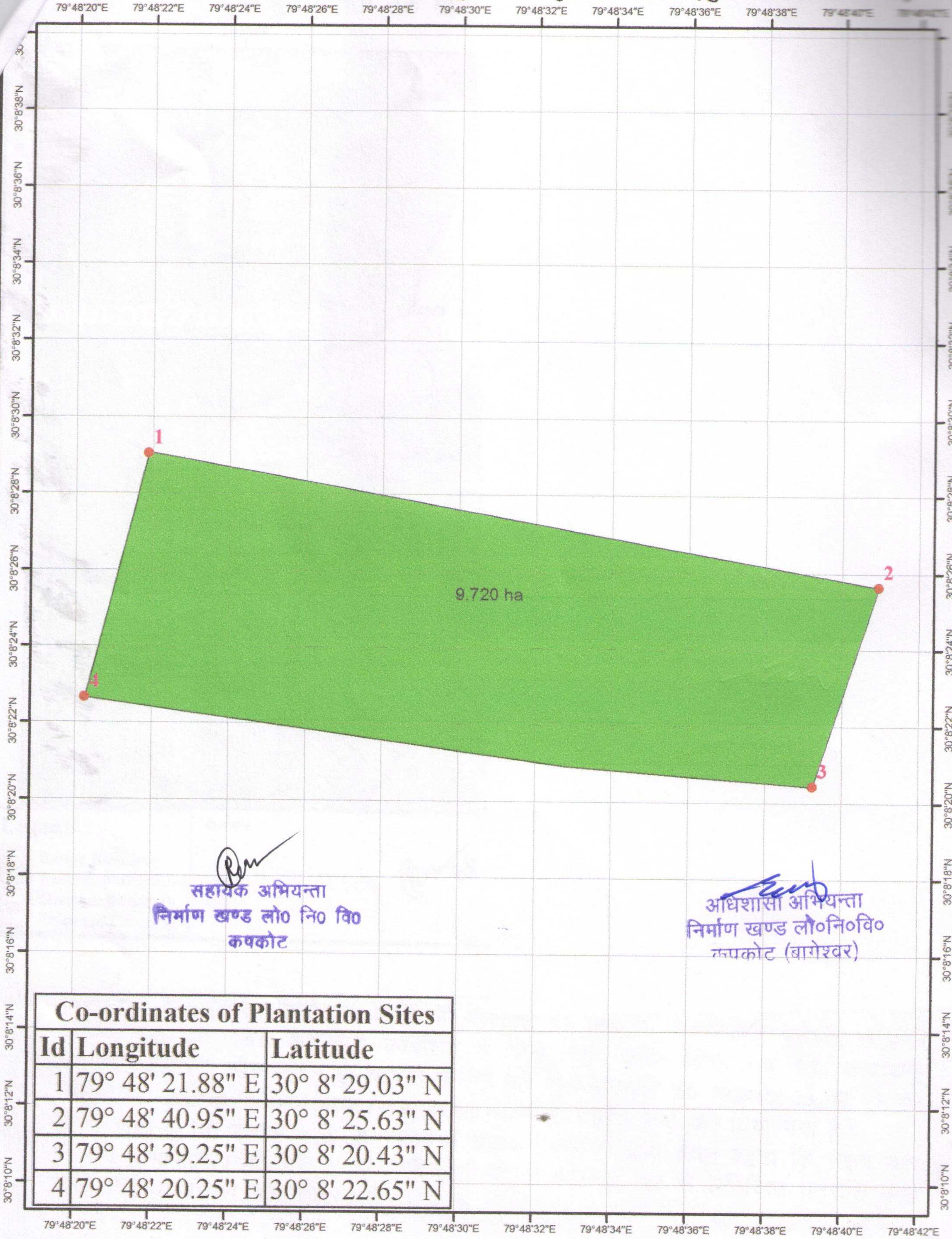

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

Co-ordinates of Plantation Sites		
Id	Longitude	Latitude
1	79° 48' 21.88" E	30° 8' 29.03" N
2	79° 48' 40.95" E	30° 8' 25.63" N
3	79° 48' 39.25" E	30° 8' 20.43" N
4	79° 48' 20.25" E	30° 8' 22.65" N

Legend

- GPS Location
- CA Land

1:4,000

0 0.05 0.1 0.2 km

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

डिजिटल मैपः–मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा के अंतर्गत शामा से रमाड़ी तेजम मोटर मार्ग से ज्ञानधुरा होते हुए ड़ागती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल–9.720 है0)

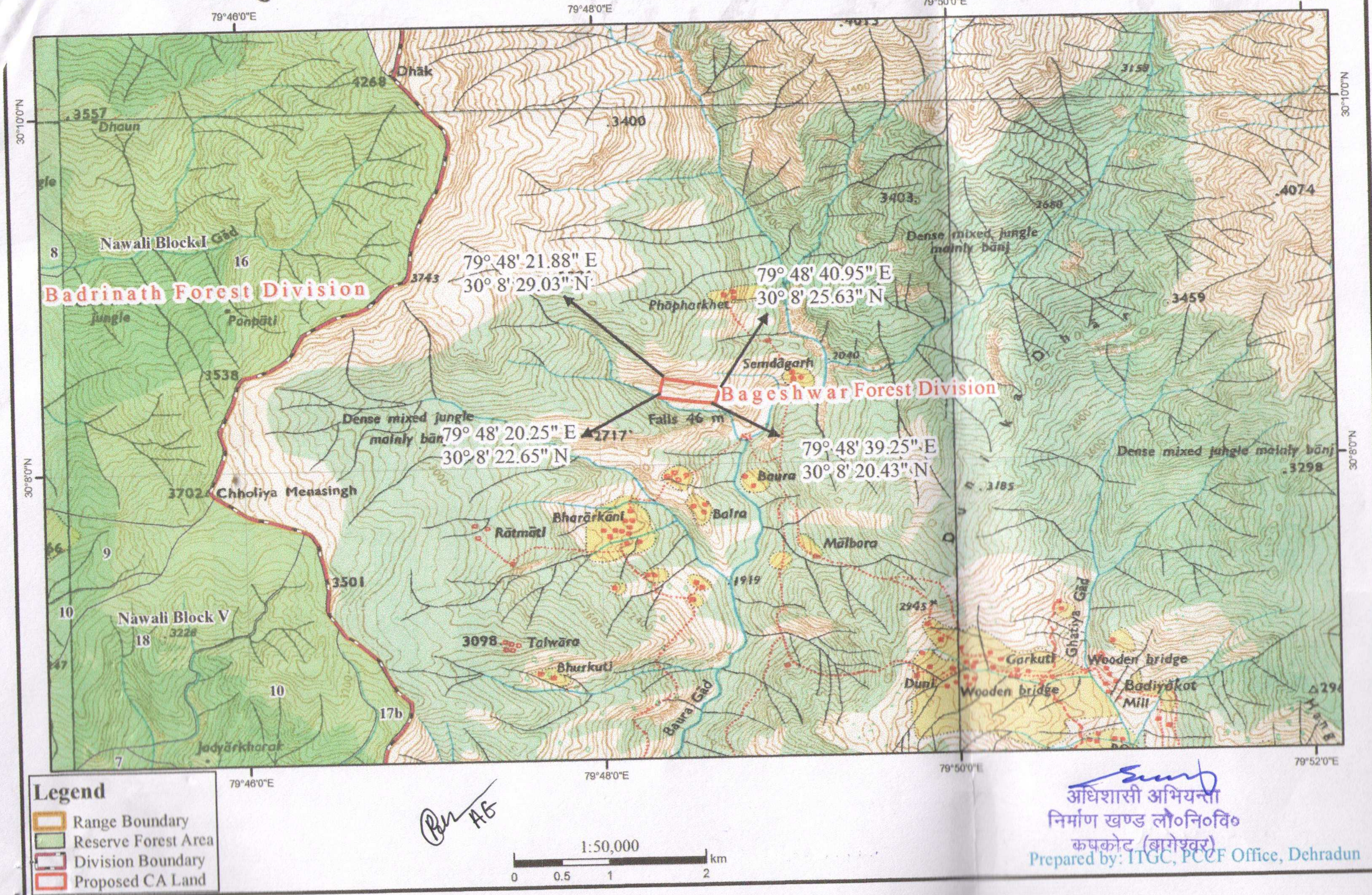

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun